International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 • Website: www.ijfmr.com • Email: editor@ijfmr.com

शीर्षक : पौंग बांध और ज्वाली की बदलती नियति: इतिहास, भूगोल, कृषि समृद्धि एवं विस्थापन का एक तुलनात्मक अध्ययन

अमन दीप भारती

शोधार्थी, संस्कृत विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, समरहिल शिमला!

प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ज्वाली मात्र एक प्रशासनिक उपमंडल (Tehsil) नहीं है, बल्कि यह प्राचीन शिवालिक पहाड़ी संस्कृति और रियासती राजनीति का एक जीवंत दस्तावेज है। समुद्र तल से लगभग 625 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से तत्कालीन 'धमेरी' (वर्तमान नूरपुर रियासत) का एक अभिन्न और रणनीतिक हिस्सा रहा है। स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार, इस स्थान का नामकरण नूरपुर के राजवंश की रानी ज्वाला देवी के नाम पर 'ज्वाली' हुआ। यह क्षेत्र न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा, बल्कि ब्यास नदी की तलहटी में बसे होने के कारण कृषि और व्यापार का भी प्रमुख केंद्र था। प्रस्तुत शोध पत्र में ज्वाली के ऐतिहासिक विकासक्रम, पठानिया राजवंश के तहत इसके महत्व और 1970 के दशक में पौंग बांध (महाराणा प्रताप सागर) के निर्माण के पहले और बाद में आए भौगोलिक व आर्थिक परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

शोध प्रविधि (Methodology)

तुलनात्मक अध्ययन पद्धति (Comparative Method) पोंग बाँध-निर्माण-पूर्व व निर्माण-पश्चात की स्थिति (आय के स्रोत, भूमि-स्वामित्व, ऋणग्रस्तता, पलायन आदि) की तुलना एक सारणी (तालिका) के माध्यम से की गई है।

शोध के उद्देश्य (Objectives of the Study)

1. ज्वाली क्षेत्र के ऐतिहासिक विकासक्रम, नामकरण एवं भौगोलिक स्थिति का पुनरावलोकन करना।
2. नूरपुर रियासत, पठानिया राजवंश और मुगल सत्ता के साथ ज्वाली के सामरिक व राजनीतिक संबंधों का विश्लेषण करना।
3. ब्रिटिशकालीन भू-राजस्व बंदोबस्त, 'कुहल' सिंचाई प्रणाली एवं परंपरागत भूमि-वर्गीकरण व्यवस्था का दस्तावेज़ीकरण करना।
4. पोंग बाँध (महाराणा प्रताप सागर) के निर्माण-पूर्व ज्वाली की कृषि-समृद्धि एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का और पोंग बांध के बनने के पश्चात आये परिवर्तनो को रेखांकित करना।

ज्वाली का इतिहास एवं भूगोल[1]**जे. हचिंसन और जे. पीएच. वोगेल की कृति History of the Panjab Hill States (1933)** पश्चिमी हिमालयी राज्यों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए एक प्राथमिक और सबसे प्रामाणिक स्रोत है। नूरपुर (प्राचीन नाम धमेरी) और उसके शासक

'पठानिया राजवंश' का इतिहास इस क्षेत्र में मुगल-पहाड़ी संबंधों की जटिलता को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यह शोध पत्र इस बात की भी पड़ताल करता है कि कैसे पठानकोट (प्रतिष्ठान) से लेकर नूरपुर और ज्वाली तक फैले इस रणनीतिक क्षेत्र ने मुगलों की क्षेत्रीय नीतियों को प्रभावित किया।

पठानिया राजवंश की उत्पत्ति और राजधानी का स्थानांतरण (Historical Background) बैकग्राउंड मूल स्थापना पुस्तक के अनुसार, तोमर (तंवर) वंश के राजा जेतपाल (लगभग 1000 ईस्वी) ने इस राज्य की स्थापना की थी। उनकी प्रारंभिक राजधानी प्रतिष्ठान (आधुनिक पठानकोट) थी। 'पठानिया' नामकरण प्रतिष्ठान क्षेत्र के शासक होने के कारण और स्थानीय अपभ्रंश के चलते इस राजवंश को 'पठानिया' उपनाम मिला।

सामरिक बदलाव राजा बासु (1580–1613) ने मुगलों के सीधे आक्रमण से बचने और पहाड़ी किलों की सुरक्षा का लाभ उठाने के लिए राजधानी को पठानकोट के मैदानी इलाके से हटाकर धमेरी (नूरपुर) के पहाड़ी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया।

ज्वाली का सामरिक महत्व और मुगल-पठानिया संघर्ष (The Strategic Context of Jawali)

पुस्तक के खंड-1 (Volume I) में नूरपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले ज्वाली (Jawali) क्षेत्र का संदर्भ सीधे तौर पर भू-राजनीतिक और सैन्य अभियानों से जुड़ता है

सूरज मल का विद्रोह (1618 CE) - राजा बासु के पुत्र राजा सूरज मल ने जहांगीर की मुगल सत्ता के खिलाफ बड़ा विद्रोह किया था। मुगलों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए एक बड़ी सेना भेजी थी।

ज्वाली के सुरक्षित ठिकाने - जब मुगलों ने नूरपुर और शाहपुर के किलों को घेरा, तब राजा सूरज मल और उनके सैनिकों ने ज्वाली की पहाड़ियों और घने जंगलों को अपनी रक्षात्मक चौकी (Strategic Outpost) बनाया। हचिंसन और वोगेल के अनुसार, ज्वाली का यह दुर्गम क्षेत्र छापामार युद्ध (Guerrilla Warfare) के लिए आदर्श था।

मुगल नियंत्रण - मुगलों ने कांगड़ा किले की घेराबंदी को सुरक्षित करने और सूरज मल के प्रभाव को खत्म करने के लिए ज्वाली के इन पहाड़ी ठिकानों पर सैन्य नियंत्रण स्थापित किया था, जो बाद में गुलेर और नूरपुर की सीमाओं के बीच एक विवादित सैन्य बिंदु भी बना।

नूरपुर के नामकरण का इतिहास

राजा जगत सिंह (1619–1646) के काल में बेगम नूरजहाँ के आगमन पर धमेरी का नाम नूरपुर किया गया, जिसके अंतर्गत ज्वाली एक प्रमुख व्यापारिक और प्रशासनिक परगना (Tehsil) के रूप में विकसित हुआ। हचिंसन और वोगेल ने इस डेटा को संकलित करने के लिए 'वंशावलियों' (Royal Genealogies), मुगल वृत्तांतों (तुजुक-ए-जहांगीरी, पादशाहनामा) और स्थानीय लोक-कथाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया था

[1] Hutchison, J., and J. Ph. Vogel. History of the Panjab Hill States. Vol. 1 & 2, Superintendent, Government Printing, Panjab, 1933.

ज्वाली के नामकरण का इतिहास

ऐतिहासिक और प्रशासनिक साक्ष्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वर्तमान 'ज्वाली ' उपमंडल का नामकरण मुख्य रूप से दो ऐतिहासिक धाराओं से प्रभावित रहा है। इसके प्रथम और सर्वाधिक स्वीकृत मत के अनुसार, यह क्षेत्र पूर्व में नूरपुर रियासत का हिस्सा था, जहाँ के तत्कालीन शासक ने अपनी रानी 'ज्वाला देवी' की स्मृति और निवास हेतु यहाँ एक भव्य 'डंडिया महल' व किले का निर्माण करवाया था। रानी के नाम (ज्वाला) के आधार पर इस क्षेत्र को 'ज्वाली' पुकारा गया, इसके समानांतर, ब्रिटिश काल के राजस्व अभिलेखों और कांगड़ा घाटी रेलवे के मानचित्रों में इस स्थान को 'जवांनवाला शहर' (Jawanwalashehar) के नाम से प्रलेखित (Documented) किया गया है। प्रशासनिक दस्तावेजों में यह द्वैधता (Duality) ऐतिहासिक रूप से क्षेत्र की सामरिक और शाही महत्ता को सिद्ध करती है।"

उपजाऊ भूमि, कृषि समृद्धि, सिंचाई तंत्र

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, परगना व्यवस्था और प्रशासनिक विकास

ऐतिहासिक दृष्टि से, ज्वाली (वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की एक महत्वपूर्ण तहसील) का इतिहास नूरपुर रियासत और ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1924-25 के [2]'Punjab District Gazetteers (Kangra District)' के आधिकारिक अभिलेखों के अनुसार, ब्रिटिश काल के दौरान ज्वाली को नूरपुर परगना के तहत एक प्रमुख प्रशासनिक, राजस्व और वाणिज्यिक केंद्र (तालुका) के रूप में स्थापित किया गया था। सिवालिक पहाड़ियों की तलहटी और मैदानी ढलानों के मिलन बिंदु पर स्थित होने के कारण, यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। यह पठानकोट और नूरपुर को कांगड़ा के आंतरिक शाही गढ़ों—जैसे हरिपुर-गुलेर, शाहपुर और ज्वालामुखी—से जोड़ने वाले पुराने व्यापारिक मार्गों का मुख्य पड़ाव था। 18th और 19th शताब्दी में, इस क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण और राजस्व संग्रह की देखरेख स्थानीय जागीरदारों और राजाओं द्वारा की जाती थी, जिसे बाद में अंग्रेजों ने अपने भू-राजस्व बंदोबस्त (Land Settlement Officer) के तहत व्यवस्थित किया।

भू-राजस्व व्यवस्था, पारंपरिक कृषि और सिंचाई तकनीक

ब्रिटिश काल के आर्थिक और कृषि डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि ज्वाली हमेशा से एक अत्यधिक उपजाऊ और आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्र रहा है। 1883-84 और 1924-25 के भू-राजस्व रिकॉर्ड्स के अनुसार, इस क्षेत्र में भूमि का वर्गीकरण मुख्य रूप से 'नहरी' (सिंचित) और 'बरानी' (वर्षा पर निर्भर) श्रेणियों में किया गया था। यहाँ की कृषि व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पारंपरिक सामूहिक सिंचाई प्रणाली थी, जिसे स्थानीय भाषा में 'कुहल' (Kuhl) कहा जाता है। पहाड़ियों से आने वाले प्राकृतिक चश्मों और नालों के पानी को पत्थरों और मिट्टी के बांधों के जरिए खेतों तक पहुँचाया जाता था, जिसका प्रबंधन स्थानीय 'कोहली' (जल प्रबंधक) करते थे। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से धान (चावल), गेहूं, मक्का और गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर की जाती थी। ब्रिटिश

[2] 1924-25 के 'Punjab District Gazetteers (Kangra District)'

काल में यहाँ से एकत्रित होने वाला राजस्व नूरपुर परगना के कुल राजस्व का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था, जो यहाँ की समृद्ध कृषि अर्थव्यवस्था को प्रमाणित करता है।

Sir James Lyall की सेटलमेंट रिपोर्ट (1865-1872) और 'टीकाबांदी'[3] व्यवस्था –

Sir James Lyall की प्रसिद्ध Report of the Land Revenue Settlement of the Kangra District (प्रकाशित 1874) ज्वाली क्षेत्र के प्रशासनिक इतिहास का सबसे बड़ा स्तंभ है। इस रिपोर्ट के अनुसार, Lyall ने पूरे कांगड़ा और नूरपुर परगना में 'मौजा' (गाँवों के समूह) को छोटे और स्पष्ट 'टीकों' (Tikabandi) में उप-विभाजित किया था। ज्वाली तालुक के अंतर्गत आने वाले गाँवों की सीमाओं को पहली बार इसी बंदोबस्त के तहत वैज्ञानिक रूप से मापा और दर्ज किया गया था। Lyall ने अपनी रिपोर्ट में ज्वाली क्षेत्र की 'शामलात टीका' (Tika Common Lands) और 'शामलात देह' (Village Common Lands) का स्पष्ट वर्गीकरण किया, जिससे स्थानीय किसानों को वनों और चरागाहों पर पारंपरिक अधिकार मिले। यह डेटा वर्तमान के भूमि विवादों और पोंग बांध के ऐतिहासिक मालिकाना हक को समझने के लिए प्राथमिक संदर्भ है।

वाजिब-उल-अर्ज' (Wajib-ul-Arz) और स्थानीय रीति-रिवाजों का संहितीकरण

Sir James Lyall और बाद में A.H. Diack के भूमि बंदोबस्त की सबसे बड़ी उपलब्धि ज्वाली क्षेत्र के प्रत्येक 'मौज' (Mauza) के लिए 'वाजिब-उल-अर्ज' (गाँव के प्रथागत कानूनों का दस्तावेज) तैयार करना था। इस दस्तावेज के सांख्यिकीय डेटा के अनुसार, ज्वाली में पेड़ों को काटने, नए कुएं खोदने और सामाजिक उत्सवों के समय वनों से लकड़ी प्राप्त करने के नियमों को लिखित रूप दिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने दर्ज किया कि नूरपुर रियासत के राजाओं के समय इन अधिकारों पर शाही एकाधिकार था, जिसे ब्रिटिश बंदोबस्त ने 'खेवटदारों' (भूमि मालिकों) के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया। इस डेटा का उपयोग आज भी भारतीय अदालतों में पारंपरिक भूमि स्वामित्व और अधिकारों को सिद्ध करने के लिए एक प्राथमिक कानूनी साक्ष्य (Primary Legal Evidence) के रूप में किया जाता है।

[4]A.H. Diack का गजेटियर संशोधन (1897) और चरागाह अधिकार डेटा

Mr. A.H. Diack, जो कांगड़ा और कुल्लू क्षेत्र के प्रमुख सेटलमेंट ऑफिसर थे, उन्होंने **1897 में Kangra District Gazetteer Volume II** का संपादन किया। Diack की रिपोर्ट और दस्तावेजों में नूरपुर परगना के निचले मैदानी भागों जैसे ज्वाली और हरियाल के वनों और बंजर भूमि (Waste Lands) पर स्थानीय जमींदारों के अधिकारों का डेटा मिलता है। Diack ने दर्ज किया कि ब्रिटिश शासन से पहले ज्वाली और नूरपुर के राजाओं के समय स्थानीय गद्दी (Gaddi Shepherds) और गूजर चरवाहों से मनमाना कर वसूला जाता था। Diack के भूमि बंदोबस्त ने इन करों को नियमित किया और ज्वाली के जंगलों में मवेशी चराने तथा सूखी लकड़ी इकट्ठा करने के अधिकारों को **'वाजिब-उल-अर्ज'** (Village Customary Rights) के तहत संहिताबद्ध किया।

[3] Sir James Lyall की सेटलमेंट रिपोर्ट (1865-1872) और 'टीकाबांदी'

[4] A.H. Diack का गजेटियर संशोधन (1897) और चरागाह अधिकार डेटा

[5]भू-राजस्व श्रेणियाँ और 'कुहल' सिंचाई की सांख्यिकी (Middleton और Lyall के अनुसार)

इन ब्रिटिश सेटलमेंट रिपोर्ट्स (जिसमें बाद में L. Middleton की 1913-1919 की Third Revised Settlement Report भी शामिल है) में ज्वाली के 'असेसमेंट सर्कल' (Assessment Circle) का सांख्यिकीय डेटा दर्ज है। ज्वाली की भूमि को 'नाहरी' (Nahri – कुहलों द्वारा सिंचित), 'एकफसली' (Ekfasli) और 'दोफसली' (Dofasli – साल में दो फसलें देने वाली) के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इन रिपोर्ट्स में स्पष्ट साक्ष्य हैं कि ज्वाली का मुख्य क्षेत्र अपनी 'नाहरी' भूमि के कारण नूरपुर तहसील का सबसे संपन्न कृषि केंद्र था। सामूहिक सिंचाई प्रणाली 'कुहल' (Kuhl) के निर्माण और रखरखाव के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने 'रिवाज-इ-आबपाशी' (Record of Irrigation Rights) तैयार किया, जिसमें पानी के बंटवारे के समय और हिस्सेदारी का मिनट-टू-मिनट विवरण दर्ज था।

'जमा' (Jama) निर्धारण और राजस्व मूल्यांकन प्रणाली

L. Middleton की 1913-1919 की Third Revised Land Revenue Settlement Report में ज्वाली असेसमेंट सर्कल के 'जमा' (भू-राजस्व कर की निश्चित राशि) का विस्तृत वर्गीकरण मिलता है। ब्रिटिश सरकार ने ज्वाली की मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर कर की दरें तय की थीं। यहाँ की 'न्यांइ' (Nyai – गाँव के बिल्कुल पास की अत्यधिक उपजाऊ भूमि) और 'झारी' (Jhari – घने झाड़-झंखाड़ वाली लेकिन कृषि योग्य भूमि) पर अलग-अलग कर दरें लागू थीं। ज्वाली असेसमेंट सर्कल का राजस्व इसके पड़ोसी परगना (जैसे हरियाल और नूरपुर के पहाड़ी हिस्से) की तुलना में लगभग 15% से 20% अधिक आंका गया था। इसका मुख्य कारण यहाँ की बारहमासी 'कुहल' सिंचाई व्यवस्था थी, जिसने फसलों के नष्ट होने के जोखिम (Crop Failure Risk) को न्यूनतम कर दिया था।

सामाजिक-आर्थिक वर्गीकरण और 'खेवटदार' (Land Owners) डेटा

James Lyall की रिपोर्ट के जनसांख्यिकीय खंड में ज्वाली और उसके आसपास के परगना में जातियों के आधार पर भूमि स्वामित्व का एक अनूठा ऐतिहासिक डेटा मिलता है। रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्र में खेती का मुख्य नियंत्रण राजपूत (जैसे पठानिया और गुलेरिया), ब्राह्मण, और राठी समुदायों के पास था, जबकि कृषि क्षेत्र में वास्तविक श्रम करने वाले अन्य स्थानीय कारीगर और कृषक वर्ग थे। Lyall ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि ज्वाली के राजपूत जमींदार स्वयं हल नहीं चलाते थे (जिसे 'हल-बाहणा' निषेध कहा जाता था), जिसके कारण वे अपनी भूमि को 'मुजारे' (Tenant Farmers/बटाईदारों) को खेती के लिए देते थे। यह ऐतिहासिक डेटा ज्वाली के सामाजिक-आर्थिक विकास और भू-स्वामित्व के पैटर्न का अध्ययन करने के लिए एक बेहतरीन केस-स्टडी प्रदान करता है।

'रिवाज-इ-आबपाशी' (Record of Irrigation Rights)

का सूक्ष्म डेटाब्रिटिश अधिकारियों द्वारा ज्वाली क्षेत्र की कुहलों (Kuhls) के लिए तैयार किया गया 'रिवाज-इ-आबपाशी' जल प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस रिकॉर्ड के अनुसार, प्रत्येक गाँव के खेतों के लिए पानी का कोटा 'बारी' (Turn) के आधार पर तय था, जिसे 'घड़ी' या 'पहर' (पारंपरिक समय मापक इकाइयाँ) के रूप में दर्ज किया गया था। यदि कोई ऊपरी क्षेत्र का

[5] L. Middleton की 1913-1919 की Third Revised Settlement Report

जमींदार पानी रोकता था, तो निचले क्षेत्र के किसानों को ब्रिटिश राजस्व अदालतों (Revenue Courts) में अपील करने का अधिकार था। Diack की 1897 की रिपोर्ट में दर्ज है कि ज्वाली में पानी के प्रबंधन को लेकर होने वाले विवादों की संख्या पूरे नूरपुर परगना में सबसे कम थी, जो यहाँ के किसानों की पारंपरिक सहकारिता और बेहतरीन जल वितरण प्रणाली को प्रमाणित करती है।

भौगोलिक स्थिति, पारिस्थिति की और पोंग बांध जलाशय का प्रभाव

भौगोलिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, ज्वाली तहसील 32.15° उत्तरी अक्षांश और 76.02° पूर्वी देशांतर के आसपास सिवालिक पहाड़ियों के निचले पारिस्थितिक क्षेत्र (Sub-Himalayan Zone) में स्थित है। आधुनिक समय में इस क्षेत्र की भूगोल में सबसे बड़ा ऐतिहासिक बदलाव 1970 के दशक में महाराणा प्रताप सागर (पोंग बांध जलाशय) के निर्माण से आया। पोंग बांध के निर्माण के कारण ज्वाली का एक बहुत बड़ा उपजाऊ कृषि क्षेत्र और कई ऐतिहासिक गाँव जलमग्न हो गए, जिसके कारण यहाँ बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकीय और आजीविका विस्थापन (Displacement and Rehabilitation) हुआ। पर्यावरणविदों के लिए यह क्षेत्र आज एक वैश्विक हॉटस्पॉट है, क्योंकि पोंग बांध जलाशय अब एक अंतरराष्ट्रीय 'रामसर साइट' (Ramsar Site) है, जहाँ साइबेरिया और मध्य एशिया से लाखों प्रवासी पक्षी आते हैं। इसके अलावा, यहाँ की वनस्पतियों पर हुए शोध (जैसे 'Tehsil Jawali Wild Edible Plants Study') दर्शाते हैं कि यहाँ जैव-विविधता अत्यंत समृद्ध है, जहाँ औषधीय पौधे और जंगली खाद्य प्रजातियाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं।

जहाँ यह एक ओर सिंचाई और जलविद्युत उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर, विशेषकर ज्वाली और उसके आसपास के उपमंडल क्षेत्रों में, इसके गहरे और दीर्घकालिक सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय प्रभाव देखने को मिले हैं। इस जलाशय के निर्माण के कारण ज्वाली क्षेत्र की अत्यधिक उपजाऊ और कृषि योग्य पुश्तैनी भूमि जलमग्न हो गई, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकीय विस्थापन (Demographic Displacement) हुआ। विस्थापित परिवारों (Oustees) के पुनर्वास की प्रक्रिया, जिसमें राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भूमि आवंटन का प्रावधान था, पिछले पांच दशकों से अधिक समय से प्रशासनिक जटिलताओं, कानूनी अड़चनों और नीतिगत विसंगतियों के कारण पूर्णतः सुचारू नहीं हो सकी है। यह स्थिति स्थानीय समाज के लिए एक अनवरत सामाजिक-आर्थिक संघर्ष का कारण बनी हुई है।इसके अतिरिक्त, इस मानव निर्मित जलाशय ने क्षेत्र की स्थानीय भौगोलिक और पर्यावरणीय स्थिति को भी संवेदनशील बनाया है। मानसून के मौसम में जब बांध का जलस्तर अपने उच्चतम स्तर (FRL) के समीप पहुँचता है, तब ज्वाली के निचले इलाकों, मंड क्षेत्रों और संपर्क मार्गों (जैसे जसूर-ज्वाली मार्ग) में जलभराव तथा बाढ़ का आकस्मिक जोखिम उत्पन्न हो जाता है। यह मौसमी जल-आकलन स्थानीय अवसंरचना (Infrastructure), कृषि और जनजीवन को निरंतर प्रभावित करता है। संक्षेप में, पौंग बांध ने ज्वाली क्षेत्र की सामाजिक संरचना को विस्थापन के माध्यम से और आर्थिक ताने-बाने को आजीविका के पारंपरिक स्रोतों के नुकसान के माध्यम से गहराई से प्रभावित किया है।"

1. **प्राथमिक आजीविका का नुकसान (Loss of Primary Livelihood)**

- उपजाऊ कृषि भूमि का डूबना - बांध बनने से पहले ज्वाली और 'हल्दून' क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अत्यधिक उपजाऊ और सिंचित भूमि (जहां गेहूं और धान की प्रचुर पैदावार होती थी) जलाशय में समा गई।

- कृषकों का मजदूर बनना - जो परिवार कभी आत्मनिर्भर किसान थे, वे अपनी ज़मीन खोने के बाद दिहाड़ी मजदूर (Daily Wage Laborers) या सीमांत किसान (Marginal Farmers) बनने पर मजबूर हो गए।

2. पुनर्वास की विफलता और आर्थिक सीमांतिकीकरण (Economic Marginalization)

- अपर्याप्त मुआवजा (Undervaluation of Compensation) रिसर्च अध्ययनों के अनुसार, तत्कालीन समय में विस्थापितों (Oustees) को दिया गया नकद मुआवजा जमीन की वास्तविक आर्थिक कीमत से बहुत कम था, जो मुद्रास्फीति के कारण जल्द ही समाप्त हो गया।
- राजस्थान में भूमि आवंटन की चुनौतियां जिन परिवारों को राजस्थान (अनूपगढ़, जैसलमेर आदि) में ज़मीनें आवंटित की गईं, उन्हें वहां पानी की कमी, स्थानीय विरोध, बुनियादी ढांचे के अभाव और कानूनी (Mutation) दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इससे उनका कृषि निवेश डूब गया और दोहरा आर्थिक नुकसान हुआ।

3. सामाजिक-आर्थिक प्रभाव-

आर्थिक आयाम	बांध से पहले की स्थिति	बांध के बाद (वर्तमान) की स्थिति
आय का मुख्य स्रोत	स्थिर कृषि आय और पशुपालन	अनिश्चित मजदूरी,सरकारी सहायता या कमर्शियल फिशिंग
जमीन का मालिकाना हक	बड़े और मध्यम स्तर के उपजाऊ भूखंड	भूमिहीनता या पथरीली/गैर-सिंचित छोटी जमीनें
ऋणग्रस्तता (Indebtedness)	न्यूनतम ऋण निर्भरता	आजीविका चलाने के लिए स्थानीय साहूकारों या बैंकों पर उच्च ऋण निर्भरता
पलायन (Migration)	स्थानीय स्तर पर रोजगार	युवाओं का रोजगार की तलाश में पंजाब, दिल्ली या अन्य राज्यों में भारी पलायन

4. वैकल्पिक अर्थव्यवस्था: मत्स्य पालन –

सकारात्मक पक्ष- बांध बनने के बाद महाराणा प्रताप सागर जलाशय में कमर्शियल फिशिंग (मत्स्य पालन) की शुरुआत हुई, जिससे स्थानीय स्तर पर सहकारी समितियों (Cooperative Societies) के माध्यम से कुछ परिवारों को रोजगार मिला है।सीमित दायरा: यह व्यवसाय कृषि की तुलना में बहुत अनिश्चित है। मौसम और ठेकेदारों के कमीशन के कारण मछुआरों की वास्तविक शुद्ध आय सीमित रहती है।

5. सीमित दायरा –

यह व्यवसाय कृषि की तुलना में बहुत अनिश्चित है। मौसम और ठेकेदारों के कमीशन के कारण मछुआरों की वास्तविक शुद्ध आय सीमित रहती है।

निष्कर्ष –

प्रस्तुत शोध अध्ययन के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का ज्वाली क्षेत्र पौंग बांध (महाराणा प्रताप सागर) के निर्माण से पूर्व एक अत्यंत समृद्ध, आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से जीवंत क्षेत्र था। ब्यास नदी की तलहटी में स्थित ज्वाली की यह घाटी अपनी असाधारण रूप से उर्वरा (Fertile) और उपजाऊ कृषि भूमि के लिए जानी जाती थी, जहाँ बिना किसी रासायनिक उर्वरक के सालभर पारंपरिक नकदी फसलों का प्रचुर उत्पादन होता था। कटोच राजवंश के इतिहास और रानी ज्वाला देवी के ऐतिहासिक महल की विरासत को समेटे हुए यह क्षेत्र न केवल आर्थिक रूप से संपन्न था, बल्कि सामाजिक ताने-बाने और स्थानीय व्यापार का एक मजबूत केंद्र भी था।1970 के दशक में पौंग बांध के निर्माण ने इस समृद्ध क्षेत्र के भूगोल, अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरे और अपरिवर्तनीय (Irreversible) प्रभाव डाले। विकास की राष्ट्रीय बलिवेदी पर ज्वाली की सबसे उपजाऊ कृषि भूमि और पुश्तैनी बस्तियां पूरी तरह जलमग्न हो गईं, जिससे सदियों पुराना आत्मनिर्भर आर्थिक ढांचा बिखर गया। ज्वाली के आम जनमानस ने देश की खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता (हरित क्रांति) के लिए अपनी अमूल्य, उपजाऊ पुश्तैनी भूमि और अपनी सदियों पुरानी विरासत की 'राष्ट्रीय बलिवेदी' पर आहुति दे दी। इस विशाल मानव निर्मित जलाशय ने जहाँ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मरुस्थलीय मैदानों को हरा-भरा कर दिया, वहीं ज्वाली के उन मूल निवासियों को भूमिहीनता के अंधकार में धकेल दिया, जिन्होंने इसके लिए सर्वस्व त्याग किया था। राष्ट्र निर्माण में दिए गए इस सर्वोच्च योगदान के बदले इन विस्थापितों (Oustees) को वह अधिकार और सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। दशकों बाद भी इस क्षेत्र के अधिकांश परिवार न्याय और बुनियादी अधिकारों से वंचित होकर आज भी गहरी गरीबी और आर्थिक वंचना की मार झेल रहे हैं।ज्वाली और उसके आसपास के मंड क्षेत्र में व्याप्त इस गंभीर और स्थायी गरीबी का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष कारण पौंग बांध जनित अधूरा पुनर्वास है। 1970 के दशक में हुए इस सशर्त विस्थापन (Involuntary Displacement) के बाद, प्रभावित परिवारों को राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों (जैसे श्रीगंगानगर और अनूपगढ़) में कृषि भूमि आवंटित की जानी थी। परंतु, पांच दशकों (53 वर्षों) से अधिक समय बीत जाने के बाद भी लगभग 6,000 से अधिक पात्र परिवारों के भूमि आवंटन के मामले प्रशासनिक उदासीनता, अंतर-राज्यीय कानूनी विवादों और स्थानीय प्रतिरोध के कारण अधूत और लंबित पड़े रहे। परिणाम यह हुआ कि जिस जनता की तीन पीढ़ियां पहले आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से संपन्न थीं, वे भूमि मालिकाना हक (Land Ownership Rights) न होने के कारण सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ, बैंक ऋण (Bank Loans) और स्थायी रोजगार के अवसरों से वंचित रह गईं।यद्यपि हाल ही में (जुलाई 2026 में) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ज्वाली और देहरा उपमंडल के कुछ चुनिंदा गांवों (जैसे झकलेड़, खैरियाँ, छप्पर, भटोली फकोरियां और भंगोली) के विस्थापित परिवारों को भूमि पट्टे (Land Lease) और मालिकाना हक देने की ऐतिहासिक पहल की गई है, परंतु यह राहत दशकों के उस आर्थिक नुक्सान की भरपाई नहीं कर सकती जिसने यहाँ की पीढ़ियों को वित्तीय रूप से पंगु बना दिया। आधी सदी तक अपनी ही जमीन पर अनिश्चितता का जीवन जीने के कारण यह इलाका औद्योगिक और ढांचागत विकास की दौड़ में पिछड़ गया। संक्षेप में, ज्वाली का यह सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य स्पष्ट करता है कि इस क्षेत्र में फैली दरिद्रता कोई सामान्य आर्थिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी 'विकास-जनित वंचना' (Development-Induced Deprivation) है, जहाँ राष्ट्र की समृद्धि की कीमत यहाँ के गरीब और असहाय आम जनमानस ने अपनी आर्थिक बर्बादी से चुकाई है।

शब्दावली -

शोध-पत्र में प्रयुक्त प्रमुख ऐतिहासिक, प्रशासनिक एवं राजस्व-संबंधी पारिभाषिक शब्दों का संक्षिप्त अर्थ यहाँ वर्णानुक्रम/उल्लेख-क्रम में दिया गया है

1. परगना (Pargana)- मुग़ल एवं रियासतकालीन प्रशासनिक-राजस्व इकाई, जिसमें कई गाँव सम्मिलित होते थे।
2. तहसील (Tehsil)- ब्रिटिश काल से चली आ रही प्रशासनिक उपमंडल इकाई; वर्तमान में ज्वाली इसी स्तर की इकाई है।
3. मौज़ा (Mauza)भू-राजस्व अभिलेखों में प्रयुक्त गाँव अथवा राजस्व-ग्राम की इकाई।
4. कुहल (Kuhl)पहाड़ी क्षेत्रों की पारंपरिक सामूहिक सिंचाई प्रणाली, जिसमें प्राकृतिक स्रोतों/नालों का जल पत्थर-मिट्टी के बाँधों के ज़रिए खेतों तक पहुँचाया जाता था।
5. कोहली (Kohli)कुहल द्वारा होने वाले जल-वितरण का प्रबंधन करने वाला स्थानीय जल-प्रबंधक।
6. वाजिब-उल-अर्ज़ (Wajib-ul-Arz) प्रत्येक मौज़ा हेतु तैयार किया गया गाँव के प्रथागत कानूनों (रीति-रिवाजों, अधिकारों) का आधिकारिक अभिलेख।
7. टीकाबंदी (Tikabandi)सर जेम्स लायल द्वारा किया गया वह बंदोबस्त जिसमें बड़े 'माल' (गाँवों के समूह) को छोटे-छोटे 'टीकों' में उप-विभाजित किया गया।
8. शामलात देह (Village Common Lands) गाँव की साझा भूमि, जिस पर परंपरागत रूप से सामूहिक अधिकार होते थे (वन, चरागाह आदि)।
9. खेवटदार (Khewatdar)भूमि-अभिलेखों में दर्ज मान्यता-प्राप्त भूमि-स्वामी।
10. न्यांई (Nyai)गाँव के निकट स्थित अत्यंत उपजाऊ भूमि की श्रेणी, जिस पर अपेक्षाकृत अधिक कर लगता था।
11. झाड़ी (Jhari)घने झाड़-झंखाड़ से युक्त किंतु कृषि-योग्य भूमि की श्रेणी।
12. नहरी (Nahri)कुहल के जल से सिंचित भूमि की राजस्व-श्रेणी।
13. बरानी (Barani)पूर्णतः वर्षा पर निर्भर, असिंचित भूमि की राजस्व-श्रेणी।
14. एकफसली (Ekfasli)वर्ष में केवल एक फसल देने वाली भूमि।
15. दोफसली (Dofasli)वर्ष में दो फसलें देने वाली भूमि; ज्वाली की नहरी भूमि इसी श्रेणी में प्रमुख थी।
16. रिवाज-ए-आबपाशी (Riwaj-i-Aabpashi)कुहलों के जल-बंटवारे के समय एवं हिस्सेदारी का सूक्ष्म अभिलेख (Record of Irrigation Rights)।
17. बारी (Turn)कुहल-जल के बंटवारे में प्रत्येक खेत/परिवार को निर्धारित पारी।
18. घड़ी / पहरजल-बंटवारे की पारी नापने हेतु प्रयुक्त पारंपरिक समय-मापक इकाइयाँ।
19. मुज़ारा (Tenant Farmer)बटाईदार किसान, जो ज़मींदार की भूमि पर खेती करता था।
20. हल-बाहणा (निषेध)राजपूत ज़मींदारों द्वारा स्वयं हल न चलाने की सामाजिक प्रथा, जिसके कारण वे भूमि मुज़ारों को देते थे।
21. गद्दी (Gaddi)हिमाचल के पारंपरिक चरवाहा (भेड़-बकरी पालक) समुदाय, जो चराई हेतु मामला कर देते थे।
22. गूजर (Gujjar)पशुचारण से जुड़ा एक अन्य पारंपरिक चरवाहा समुदाय।
23. ओस्टीज़ (Oustees)पोंग बाँध निर्माण से विस्थापित हुए परिवार।

24. डंडिया महल (Dandiya Mahal) पौराणिक/स्थानीय अनुश्रुतियों के अनुसार रानी ज्वाला देवी हेतु निर्मित महल-दुर्ग, जिससे 'ज्वाली' नामकरण जुड़ा माना जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची (Bibliography)

शोध-पत्र में उद्धृत एवं संदर्भित स्रोतों की सूची निम्नलिखित है:

1. Hutchison, J., and J. Ph. Vogel. History of the Panjab Hill States. Vol. I एवं II. Superintendent, Government Printing, Panjab, 1933.
2. Hutchison, J., and J. Ph. Vogel. History of Panjab Hill States (Reprint संस्करण), 2 खंड। शिमला: भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश, 1982.
3. Lyall, Sir James B. Report of the Land Revenue Settlement of the Kangra District, Panjab, 1865–72. Lahore: Government Press, 1874.
4. Diack, A. H. Gazetteer of the Kangra District, Volume II (Kulu, Lahaul and Spiti सहित संबद्ध क्षेत्र). 1897.
5. Middleton, L. Final Report on the Third Revised Settlement of the Kangra District, 1913–1919.
6. Punjab Government. Punjab District Gazetteers: Kangra District, 1924–25. Lahore: Government Printing, Punjab.
7. Punjab Government. Punjab States Gazetteer, Volume VIII: Gazetteer of the Simla Hill States, 1910. Delhi: B. R. Publishing Corporation (पुनर्मुद्रण)।
8. Rose, H. A., et al. A Glossary of the Tribes and Castes of the Punjab and North-West Frontier Province. 3 खंड। Delhi: Low Price Publications, 1999 (पुनर्मुद्रण)।
9. Randhawa, M. S. Travels in the Western Himalayas. तथा Kangra Paintings.
10. 'Riwaj-i-Aabpashi' (Record of Irrigation Rights), ज्वाली क्षेत्र की कुहलों हेतु ब्रिटिश राजस्व अधिकारियों द्वारा संकलित अभिलेख।
11. 'Wajib-ul-Arz' अभिलेख, ज्वाली परगने के विभिन्न मौज़ों हेतु संकलित प्रथागत विधि-दस्तावेज़।
12. Tehsil Jawali Wild Edible Plants Study (वनस्पति-विविधता एवं औषधीय पादपों संबंधी शोध-अध्ययन)।